महत्वपूर्ण एवं खास

चक्रधर नगर रेलवे फाटक 28 सितम्बर को रात्रि 8 बजे से अगली सुबह 8 बजे तक सड़क यातायात के लिए रहेगी बंद

रायगढ़। कोतरलिया-रायगढ़ के बीच चक्रधर नगर रेलवे समपार फाटक में वार्षिक मरम्मत एवं पैकिंग कार्य के लिए 28 सितम्बर 2024 को रात्रि 8 बजे से अगली सुबह प्रात: 8 बजे तक सड़क यातायात के लिए पूर्णत: बंद रहेगी। जनसामान्य उक्त बंद अवधि में केलो पुल के नीचे की सड़क का उपयोग कर सकते है। उक्त जानकारी सीनियर सेक्शन इंजीनियर (रेलपथ)कार्यालय, द.पू.म.रे. रायगढ़ द्वारा दी गई है।

आपस में टकराई मुख्यमंत्री के काफिले की गाड़ियां

दुर्ग (आरएनएस)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के काफि ले में चल रही दो गाडिय़ां गुरूवार कोआपस में टकरा गई। मुख्यमंत्री साय दुर्ग में विकास कार्यों का लोकार्पण कर पटेल चौक होते हुए सर्किट हाउस जा रहे थे उसी इसी दौरान रास्ते में अचानक आई गाय को बचाने के चक्कर में काफिले में चल रही दो गाडिय़ां आपस में टकरा गई। दुर्घटना के बाद दो गाडिय़ां काफिले में तत्काल बदल गई और दूसरी गाडिय़ों को मुख्यमंत्री के काफिले के साथ रवाना किया गया। मुख्यमंत्री साय के सुरक्षाकर्मियों को तत्काल इसकी सूचना दे दी। इस हादसे में किसी को भी चोट नही पहुंची है।

सड़क किनारे मृत मिला तेंदुए का शावक,वन अमले ने किया अंतिम संस्कार

गरियाबंद (आरएनएस)। अज्ञात वाहन की टक्कर से मृत तेंदुए के शावक का डीएफओ की मौजूदगी में गुरूवार को अंतिम संस्कार किया गया। बताया जाता है कि लगभग डेढ़ साल का शावक है जिसके सिर में गंभीर चोट के निशान थे। बता दें कि गरियाबंद के छुरा फ रैस्ट रेंज में गुरूवार को गोनबेरा जंगल के तेंदुए का एक शावक सडक़ किनारे मृत अवस्था में मिला था। शावक की मौत की सूचना मिलते ही वन अमला हरकत में आया और डीएफओ लक्ष्मण सिंह के साथ वन अमला मौके पर पहुंचा तथा घटना का जायजा लिया। परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर डीएफओ ने बताााय कि लगभग डेढ़ साल का सावक है जिसके सिर में गंभीर चोट के निशान है। अनुमान है कि किसी वाहन ने टक्कर मार दी होगी। पोस्टमार्टम के बाद शावक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं शावक की मौत का कारण पीएम रिपोर्ट के बाद पता चल पायेगा।

तीन दिन बाद भी नही मिला खारून नदी में बहा छात्र

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी रायपुर के खारून नदी में बुधवार को अपने दोस्तों के साथ नहाने के दौरान एक नवीं कक्षा का छात्र नदी के तेज बहाव में बह गया। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने छात्र को ढूंढने की कोशिश की पर उसका कोई पता नही चला। लगातार तीन दिनों से छात्र की तलाश की जा रही है पर उसका पता नही चल पा रहा है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार बुधवार का ईश्वर साहू पिता राजकुमार साहू गुरूवार को अपने घर से स्कूल जाने के नाम से निकला था तथा कुछ देर बाद वह पेंसिल भूलने की बात कहते हुए वापस आया और फिर अपने दोस्तों के साथ निकल गया। जहां से वह सीधे अपने दोस्तों के साथ खारून नदी नहाने के लिए पहुंच गया जहां वह अपने दोस्तों के साथ नहा रहा था। इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया और फिर बाहर नही आ पाया। कुछ देर तक उसके दोस्तों ने इंतजार किया और फिर इसकी सूचना डॉयल 112 को दी। सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम गोताखोरों के साथ दोपहर 12 बजे मौके पर पहुंची तब तक देर हो चुकी थी। टीम ने दोपहर से लेकर शाम तक मृतक छात्र की तलाश कि किंतु उसका पता नही चला और दूसरे दिन गुरूवार तथा तीसरे दिन शुक्रवार को भी गोताखोंरों की टीम ने छात्र की तलाश की पर छात्र का कुछ पता नही चला। गोताखोंरों की टीम लगातार छात्र की तलाश कर रही है।

सुने मकान से हुई चोरी में धरमजयगढ़ पुलिस को मिली सफलता, 48 घंटे में वारदात का किया खुलासा

- पुलिस ने आदतन बदमाश, अपचारी बालक समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से चोरी की संपत्ति बरामद
- आरोपी ने चुराए जेवरातों को धान लगे खेत में छिपाया, बरामदगी में पुलिस को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत, ढूंढ निकाले छिपाए जेवरात

रायगढ़

धरमजयगढ़ के पतरापारा क्षेत्र में बीते दिनों चोरी की घटना सामने आई है। 24 सितंबर को महावीर प्रसाद वर्मा (उम्र 86 वर्ष) ने थाना धरमजयगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके सुने घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने घर की आलमारी से सोने का सिक्का, जेवरात (जिसमें बाली, मंगलसूत्र, कंगन आदि शामिल हैं) और नकदी लगभग रु.45,000 रुपये समेत कुल रु.2,80,000 रुपये की संपत्ति चोरी कर ली।

रिपोर्टकर्ता ने बताया कि वे 08 सितंबर को अपनी नतनीन का जन्मदिन मनाने राजनांदगांव गए थे और 24 सितंबर की शाम जब वे घर लौटे, तब चोरी की जानकारी हुई। घटना की सूचना मिलते ही एसडीओपी धरमजयगढ़, सिद्धांत तिवारी और थाना प्रभारी निरीक्षक कमला पुसाम ठाकुर अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर डॉग स्क्वॉड की मदद भी ली।

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशानुसार, माल-मुल्जिम की पतासाजी के लिए विशेष टीम गठित की गई। टीआई कमला पुसाम ने सक्रिय मुखबिरों से जानकारी जुटाकर थाना क्षेत्र के संदिग्धों और पूर्व के अपराधियों से पूछताछ की। इसी क्रम में आदतन अपराधी सागर सारथी उर्फ चेमे (उम्र 21 वर्ष, निवासी तुर्रापारा) को हिरासत में लिया गया। कड़ी पूछताछ के बाद सागर ने अपने साथियों, रोहन सारथी उर्फ विपुल सारथी (उम्र 18.6 वर्ष, निवासी तुर्रापारा) और एक अपचारी बालक के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया।

आरोपी सागर सारथी ने अपने मेमोरेंडम बयान में बताया कि चोरी की नकदी में से उसने रु.2000-रु.2000 रुपये अपने दोनों साथियों को दिए, जबकि चोरी किये सोने के जेवरातों को बिक्री के लिए अपने साथी सुमीत उर्फ सर्किट निवासी घरघोड़ा को नकदी रु.7000 के साथ दिया है और चोरी किए गए चांदी के जेवरातों को उसने तुर्रापारा के एक खेत में छिपा दिया था।

बरसात के बावजूद थाना प्रभारी कमला पुसाम और उनकी टीम ने खेत में छिपाए गए चोरी के सामान को बरामद किया, जिसमें 1 चांदी की चूड़ी, 1 जोड़ा चांदी की पायल, 1 चांदी का छोटा शिवलिंग, 1 चांदी का त्रिशूल, और 1 चांदी का छल्ला, जिसकी कुल कीमत लगभग रु.13,000 है। साथ ही, आरोपी सागर सारथी से रु.1000 नकद भी जब्त किए गए। अन्य दोनों आरोपियों को दबिश देकर हिरासत में लिया गया जिनसे भी चोरी में हिस्सेदारी के रु.2000-रु.2000 रुपये बरामद कर लिए गए हैं। आरोपी सुमीत उर्फ सर्किट अपने घर से फरार है, धरमजयगढ़ पुलिस सरगर्मी से आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।

गिरफ्तार आरोपी सागर सारथी आदतन प्रवृति का आरोपी है और उसके खिलाफ पहले भी चोरी और मारपीट के कुल 5 मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार तीनों आरोपियों को सक्षम न्यायालय न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशानुसार, एडिशनल एसपी आकाश मरकाम और एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी के सुपरविजन में, थाना प्रभारी निरीक्षक कमला पुसाम ठाकुर और उनकी टीम के एएसआई डेविड टोप्पो, आरक्षक संतराम पटेल, विजय राठिया, कमलेश राठिया, ललित राठिया, अनूप जॉनशन, बीरबल टोप्पो, महिला आरक्षक संपत्ति भगत, संगीता भगत और एम्ब्रेंसिया टोप्पो ने 48 घंटों के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद किया। उनकी इस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की सराहना की जा रही है।

नशा मुक्ति एवं सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान जारी, वाहन चालकों और राहगीरों को पुलिसकर्मियों ने दी महत्वपूर्ण जानकारी

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक रायगढ़ दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन पर "नशा मुक्ति" हेतु जागरूकता के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। टीम को निर्देशित किया गया है कि प्रतिदिन अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर नशा के दुष्प्रभावों की जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया जावे तथा नशे से दूर रहने प्रेरित करें। इसी तारतम्य में आज "नशा मुक्ति" जागरूकता दल एवं यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कोड़ातराई राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन चालकों एवं राहगीरों को नशा के दुष्प्रभावों की जानकारी देकर सुरक्षित यातायात के संबंध में जागरूक किया गया। एएसआई प्रेम साय भगत ने सरल शब्दों में सड़क दुर्घटना के कारणों और बचने के उपाए लोगों को बताए। इस दौरान निरीक्षक अनुरंजन लकड़ा, एएसआई दौलत सिंह, प्रधान आरक्षक संजय यादव, बिहारी एक्का, आरक्षक महेन्द्र बिंझवार, मनीष मिंज व अन्य स्टाफ मौजूद रहे।

राज्य में सहायक उपनिरीक्षक (एम) के 263 पदों पर होगी भर्ती

- मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर वित्त विभाग ने दी मंजूरी

रायपुर। आरएनएस

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार शासकीय विभागों में रिक्त विभिन्न संवर्ग के पदों की भर्ती के लिए वित्त विभाग से मंजूरी से लेकर विज्ञापन जारी करने और परीक्षाओं के आयोजन के प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी है। इसी तारतम्य में पुलिस विभाग में सहायक उपनिरीक्षक (एम) के 263 पदों पर भर्ती को वित्त विभाग ने मंजूरी दी है।

गौरतलब है कि गृह विभाग द्वारा सहायक उपनिरीक्षक (एम) की भर्ती के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था, मुख्यमंत्री के निर्देश पर वित्त विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। सहायक उप निरीक्षक के विभिन्न रेंज में 213 पदों को मंजूरी दी गई है। इसमें पुलिस मुख्यालय सामान्य शाखा में 40, रायपुर रेंज में 20, बिलासपुर रेंज में 48, बस्तर रेंज में 28, दुर्ग रेंज में 10, सरगुजा रेंज में 35 और राजनांदगांव में 32 पद शामिल हैं। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय में कनिष्ठ श्रेणी, शीघ्रलेखक/सूबेदार (एम) के 50 पदों पर भर्ती को स्वीकृति दी गई है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि गृह विभाग में सूबेदार, उप पुलिस निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, नगर सैनिक सहित कुल 806 पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग द्वारा पूर्व में स्वीकृति दी जा चुकी है। सहायक उपनिरीक्षक की भर्ती के लिए स्वीकृत पदों को शामिल करने के बाद गृह विभाग के अंतर्गत विभिन्न संवर्ग के कुल 1069 पदों की भर्ती की मंजूरी वित्त विभाग से मिल चुकी है। इनमें से कुछ संवर्ग के पदों की पूर्ति के लिए भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

मुख्यमंत्री साय के निर्देश के परिपालन में अब तक राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा कुल 3737 पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग ने मंजूरी दी है, जिनमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 181, स्वास्थ्य विभाग में 1201, आदिम जाति कल्याण विभाग में 300, वन विभाग में 66, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आजीविका मिशन के अंतर्गत विभिन्न संवर्ग के 237, विधि विभाग के अंतर्गत न्यायालयों में व्यवहार न्यायाधीश सहित अन्य संवर्ग के कुल 362 पदों की स्वीकृति के साथ ही कृषि विभाग के अंतर्गत 321 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की भर्ती प्रक्रिया जारी हैं।

ऑपरेशन मुस्कान में चक्रधरनगर पुलिस को मिली एक और सफलता: रायपुर से लापता नाबालिग बालिका की हुई बरामदगी, आरोपी को किया गिरफ्तार

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के मार्गदर्शन पर "ऑपरेशन मुस्कान" के तहत थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव के नेतृत्व में गुम इंसानों की पतासाजी में चक्रधरनगर पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। इसी कड़ी में चक्रधरनगर पुलिस ने आज थाना क्षेत्र से लापता हुई नाबालिक बालिका को रायपुर के उरला थाना क्षेत्र से दस्तायाब कर रायगढ़ लाया गया है। पुलिस ने बालिका को बहला- फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी शिवम निषाद (27 साल) को दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट के धाराओं में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

गुम बलिका के पिता द्वारा 30 अप्रैल 2024 को थाना चक्रधरनगर में बालिका के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिस पर अप.क्र. 213/2024 धारा 363 आईपीसी का अपराध कायम कर बालिका के वारिसानों एवं सहेलियों से पूछताछ कर जानकारी ली गई, जांच दौरान जानकारी मिली कि उनके मोहल्ले में किराया मकान लेकर ड्रायवरी का काम करने वाला युवक शिवम निषाद भी गायब है। तत्काल चक्रधरनगर पुलिस द्वारा शिवम निषाद के निवास स्थान ग्राम गीरसा, थाना सरायपाली जिला महासमुंद में दबिश दिया गया। शिवम निषाद अपना मोबाइल बंद कर फरार था। उसके परिजनों को हिदायत दिया गया कि शिवम के संपर्क करने पर तत्काल सूचित करें, चक्रधरनगर पुलिस द्वारा गोपनीय रूप से मुखबीर भी तैनात किया गया था। इसी बीच मुखबीर द्वारा संदेही शिवम निषाद के बालिका के साथ उरला, रायपुर में होने की जानकारी पर तत्काल थाना प्रभारी ने सहायक उप निरीक्षक नंद कुमार सारथी, प्रधान आरक्षक महेंद्र कर्ष को रायपुर रवाना किया गया। संदेही शिवम को आजाद नगर, उरला में एक किराए मकान में पकड़ा गया जिसके कब्जे से अपहृत बालिका की बरामद की गई। बालिका का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया जिसमें उसने शादी का वादा कर भगा ले जाना बताई। इस दौरान बालिका को इलाहाबाद और असम ले जाना बताई, जहां उसके साथ शिवम जबरजस्ती शारीरिक संबंध स्थापित किया है। बालिका का मेडिकल, कथन पश्चात प्रकरण में धारा 366, 376 आईपीसी 4, 6 पॉक्सो एक्ट जोड़कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

लूटपाट मामले के दो फरार आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा न्यायिक रिमांड पर

रायगढ़

दिनांक 14/08/2024 को मुक्तिनाथ प्रसाद पिता विद्याचल प्रसाद उम्र 48 वर्ष निवासी बाजीरावपारा, रायगढ़ ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि रात 11:00 बजे स्टेशन चौक से इंदिरा नगर एक व्यक्ति को स्कुटी में छोड़ने के बाद, जब वे वापस लौट रहे थे, तब सिद्धि विनायक कॉलोनी गेट क्रमांक 02 के पास कुछ व्यक्तियों के बीच गाली-गलौज और मारपीट हो रही थी, परिचित के होने पर उन्हें समझाकर अलग किया गया।

इसके बाद, जब मुक्तिनाथ प्रसाद मेन रोड पर बाबा बिरयानी के पास पहुंचे, तब श्रेयांश ठाकरे ने उन्हें आवाज दी। ओमकार तिवारी उनसे बातचीत करने लगा और उसी दौरान श्रेयांश ठाकरे, रूपेश खरे ने पीछे से हमला किया। सिर के पिछले हिस्से पर रॉड जैसी वस्तु से वार करते हुए, आरोपियों ने उनके गले से 14 ग्राम का सोने का चेन और जींस की जेब में रखे 8500 रुपए छीन लिए और मौके से फरार हो गए। थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 488/2024 धारा 296, 309(6).3(5) BNS के तहत मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई। तत्पश्चात पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए दोनों आरोपियों श्रेयांश ठाकरे (पिता सुरेश ठाकरे, उम्र 20 वर्ष) और रूपेश खरे (पिता ब्रजगोपाल खरे, उम्र 20 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपियों से पूछताछ के दौरान अपराध स्वीकार किया गया और उनके मेमोरेंडम पर घटना में प्रयुक्त स्टील का कडा (ब्रेसलेट) एवं 700 रुपये नगदी जब्त किए गए। आरोपियों को पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य जुटाकर रिमांड पर भेज दिया है।

मुख्यमंत्री साय ने दुर्ग नगर में किया 23 करोड़ रूपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन

रायपुर। आरएनएस

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज दुर्ग नगर के वार्ड नंबर 03 में आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रम में 22 करोड़ 97 लाख रूपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री अरूण साव, सांसद विजय बघेल, विधायक गजेंद्र यादव और रिकेश सेन, दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि और प्रबुद्ध नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री साय ने जिन कार्यों का भूमिपूजन किया उनमें 1 करोड़ 98 लाख 39 हजार रूपए की लागत से उरला में खेल मैदान का विकास कार्य, 88 लाख 47 हजार रूपए लागत से सडक़ सुरक्षा हेतु राजेन्द्र पार्क चौक में विकास कार्य, 1 करोड़ 66 लाख 02 हजार रूपए लागत से विभिन्न स्थानों में वृक्षारोपण कार्य, 1 करोड़ 35 लाख 41 हजार रूपए लागत से विभिन्न वार्डों में 8 स्थानों पर डामरीकरण व 1 स्थान पर पेवर ब्लॉक, 1 करोड़ 99 लाख 43 हजार रूपए लागत से गया नगर 33 के.वी. पावर स्टेशन के पास डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सर्वसमाज मांगलिक भवन निर्माण कार्य, 49 लाख 98 हजार रूपए लागत से वार्ड क्रमांक 15 सतनाम भवन आयुर्वेदिक अस्पताल के पीछे सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य, 8 करोड़ 33 लाख रूपए लागत से शहर के विभिन्न वार्डों में कुल 59 कार्य (सडक़, नाली पुलिया निर्माण), 2 करोड़ 72 लाख 37 हजार रूपए लागत से वार्ड क्रमांक 32 शिक्षक नगर में वाटर सप्लाई पार्ट ए एवं बी, 25 लाख रूपए की लागत से राजेन्द्र पार्क चौक पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापना, 50 लाख रूपए की लागत से गोंडवाना भवन के प्रथम तल में अतिरिक्त हॉल निर्माण कार्य, 2 करोड़ 14 लाख रूपए लागत से विधायक निधि अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य तथा 65 लाख रूपए लागत से प्रभारी मंत्री निधि अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य का भूमिपूजन शामिल है।

रायगढ़ पुलिस का साइबर सुरक्षा पर जागरूकता अभियान : डीएसपी अभिनव उपाध्याय ने मां काली प्लांट पाली में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में साइबर सुरक्षा और सतर्कता का दिया संदेश

रायगढ़

प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा साइबर अपराधों के प्रति अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने के निर्देशों के तहत, रायगढ़ पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल ने जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों, थाना एवं चौकी प्रभारियों को सामुदायिक पुलिसिंग के तहत साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के दिशा निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 27.09.2024 को डीएसपी साइबर सेल अभिनव उपाध्याय के नेतृत्व में थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक राकेश मिश्रा और उनकी टीम ने मां काली एलॉयस उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, पाली गेरवानी में एक व्यापक साइबर अवेयरनेस एवं औद्योगिक सुरक्षा पर कार्यक्रम आयोजित किया।

कार्यक्रम में डीएसपी अभिनव उपाध्याय ने डिजिटल सुरक्षा और स्वस्थ जीवन के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि आज के दौर में जैसे शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, वैसे ही डिजिटल स्वास्थ्य भी जरूरी है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल किए जाने वाले गैजेट्स और तकनीकों का दुरुपयोग कर साइबर अपराधी नई-नई चालों से ठगी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि साइबर अपराधी फोन कॉल या लिंक के जरिए फर्जी जानकारी देकर लोगों को फंसाते हैं, जैसे "फेक वारंट" दिखाकर, "डिजिटल अरेस्ट" या "सेक्सटॉर्शन" के जरिए लोगों से पैसे ऐंठे जाते हैं। इस तरह के मामलों से बचने का सबसे प्रभावी उपाय जागरूकता है।

डीएसपी उपाध्याय ने उपस्थित कर्मचारियों को फिशिंग, क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन, और डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों से बचने के लिए सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि अनजान लिंक और फर्जी कॉल से बचने की सलाह दी और लालच में आकर अनजान कंपनियों में निवेश न करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा की पहली रेखा अवेयरनेस है और इसके बिना किसी भी सुरक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती।

थाना प्रभारी राकेश मिश्रा ने औद्योगिक दुर्घटनाओं के मामलों पर बात करते हुए, कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल पर सुरक्षा उपकरणों का सही उपयोग करने और हर सुरक्षा नियम का पालन करने की सलाह दी।

कार्यक्रम के अंत में कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा की शपथ दिलाई गई और उनसे आग्रह किया गया कि वे अपने आसपास के 10 लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करें, ताकि साइबर अपराधों को खत्म करने में हम सभी मिलकर प्रयास कर सकें।

कार्यक्रम में डीएसपी अभिनव उपाध्याय, निरीक्षक राकेश मिश्रा, एएसआई विजय एक्का, जयराम सिदार, प्रधान आरक्षक अमित तिर्की और साइबर सेल के प्रधान आरक्षक दुर्गेश सिंह, आरक्षक नवीन शुक्ला उपस्थित थे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480